बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। अधिसूचना ।।

सं०सं०–16 / परि0–03–13 / 2026 **पटना, दिनांक–**

मो0 नेशात आलम, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शाहपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक–586 दिनांक–18.03.2026 द्वारा परिवादी डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी, निदेशक, दृष्टि पुंज आई हॉस्पिटल, पटना के माध्यम से भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर अंचल में 100 बेड का अस्पताल एवं प्रशीक्षण केंद्र के निर्माण के लिए नक्शा के स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में समर्पित प्रस्ताव / आवेदन का ससमय निपटारा नहीं करने, मनमानेपन करने, परिवादी द्वारा भवन निर्माण कार्य शुरू किये जाने के कारण पेनाल्टी के रूप में राशि की गणना 12,72,860 / –रुपये के स्थान पर 19,09,290 / –रुपये कर बिहार भवन उपविधि, 2014 (यथा संशोधित, 2022) के नियम 77 का उल्लंघन कर घोर लापरवाही बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रथम दृष्टया उपरोक्त आरोप प्रमाणित पाये जाने तथा उनका कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावी, 1976 के नियम–3 (1) (i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल पाये जाने के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) के तहत मो0 नेशात आलम, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शाहपुर को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में मो0 नेशात आलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय **नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ का कार्यालय** निर्धारित किया जाता है।

5. मो0 निशात आलम के विरूद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / –
(राजीव रंजन तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–16 / परि0–03–13 / 2026 930 पटना, दिनांक– 20/03/26

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा / नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ / मो0 नेशात आलम, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शाहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारी / उप सचिव (स्थापना) एवं आई०टी०, प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2026

सरकार के उप सचिव।